लेखकों के लिए रियायती दरों पर रेल-यात्रा सुविधा

1267. **श्रीमती सरला माहेश्वरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेखकों के लिए रियायती दरों पर यात्रा सुविधा प्रदान करने के संबंध में संस्कृति संसद की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या हिंदी लेखकों के एक बड़े वर्ग ने सांप्रदायिकता के खिलाफ जन-जागरण अभियान को शुरू करने की खातिर इलाहाबाद जाने के लिए ऐसी सुविधाओं की मांग की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इतने अच्छे कार्य के लिए लेखकों को ऐसी सुविधा देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या देश को सांप्रदायिकता के जहर से बचाने के लिए रेलवे मंत्रालय कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1993 के दौरान इलाहाबाद में आयोजित की जाने वाली संस्कृति संसद में भाग लेने वालों को यात्री किरायों में 50% छूट देने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(घ) और (ङ) रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल यात्रा रियायत संबंधी नीति को युक्तिसंगत किया गया है । गाड़ियों के परिचालन की लागत में वृद्धि, स्थापना और अनुरक्षण आदि के उच्च प्रभारों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा रियायत में वृद्धि नहीं की जा रही है । इसी कारण रेल यात्रा में छूट देने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है ।

दमदम से सियालदह के बीच सबअर्बन रेलवे का विकास

1268. **श्रीमती सरला माहेश्वरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमदम से सियालदह के बीच चलने वाली सबअर्बन रेलवे के विकास और विद्युतीकरण की परियोजना पर काम हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Rilway Accidents

1269. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the details of Zone-wise Railway accidents since June 15, 1991 till date,

(b) total amount actually paid as compensation to the affected passengers; and

(c) the punishment given to concerned officers and employees responsible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) Zone-wise railway accidents for the period of June 15, 1991 to 30-6-1993 are as under—

Railway	No. of accidents
Central	108
Eastern	103
Northern	127
North Eastern	64
Northeast Frontier	98
Southern	130
South Central	125
South Eastern	199
Western	108

(b) A sum of Rs. 330.16 lakhs has been paid to next of the deceased and the injured railway passengers.

(c) Every accident is inquired into either departmentally or by the Commissioners ot Railway Safety and suitable action is taken against the indicated staff based on the findings of the Inquiry Committee.

The punishment imposed on the staff include removal, dismissal, compulsory retirement from service, reduction and reversion in grade, stoppage of annual increments etc. depending upon the seriousness of lapses committed.

मुफ्त रेल पासों का जारी किया जाना

1270. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक जिन व्यक्तियों/संगठनों को रेल में यात्रा करने के लिये मुफ्त पास दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है

तथा इन्हें किस आधार पर वे पास जारी किये गये हैं तथा इनकी वैधता कब तक है; और

(ग) क्या ऐसे पासों को जारी करने के संबंध में कुछ नियम या मानदंड है; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ) : (क) और (ख) उन व्यक्तियों/संगठनों के नाम व पते जिन्हें 30-7-1993 तक वैध मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए हैं । अनुपत्र में दिए गए हैं[देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 24 (मूल संस्करण)] वे पास प्रत्येक मामले में मौजूदा मार्ग निदेशों, औचित्य तथा योग्यता के आधार पर जारी किए गए हैं तथा जिन की वैधता अवधि इन के जारी किए जाने की तारीख से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होती है ।

(ग) मानार्थ कार्ड पास रेल मंत्री जी के व्यक्तिगत रूप से अनुमोदन करने पर जारी किए जाते हैं । व्यक्तियों/संगठनों को ऐसे पास जारी करने के लिए वर्तमान मार्ग निदेशन इस प्रकार हैं :—

(i) ऐसे संस्थान तथा संगठन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, साहित्य, खेल कूद तथा शैक्षिक गतिविधियों को समर्पित हैं तथा जिन का कार्य क्षेत्र अखिल भारतीय स्तर का है ।

(ii) ऐसे संगठन जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े तथा उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, बच्चों/नौनों तथा अपंग व्यक्तियों आदि से संबंधित है ।

(iii) ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो राष्ट्रीय महत्व के कार्यों से जुड़े हों जिसके लिए उन्हें बार-बार यात्राएं करना अपेक्षित होता है ।

Arson at Madurai Railway Station

1271. SHRI PASUMPON THA. KTRUT-TINAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a mob went on rampage and indulged in wide spread arson in the Madurai Railway Station of Southern Railway on the 18th July, 1993;

(b) if so, what is the total amount of loss to the Railway property and the nature of such damages;

(c) whether any action has been taken by the police against those who indulged in unlawful activities;

(d) whether all the passengers on that day got their refunds of their rail fare; and

(e) if so, what is the total amount refunded to the passengers on that particular date at Madurai ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) A mob of about 500 persons indulged in vendalism at Madurai Railway Station on 18-7-93. However, there was no attempt of arson by the mob.

(b) The total loss to the Railway property was estimated at Rs. 36,610/-. Details of damaged property with value are as under:

Damaged property	Value (in Rs.)
Telephone & Drum clocks	5,800/-
Glasses & shutters of AC coaches of Train No. 6718	16,950/-
Signal indicator lenses	2,630/-
Fluorescent lamps, tubes	1,230/-
CC/TV	10,000/-

(c) Government Railway Police, Madurai registered a case u/s 147,148,447,427 IPC read with 147, 151, 153, 174(a) of Railways Act on 18-7-93 vide Crime No. 422/93.

(d) All passengers who approached for refund were given refund.

(e) A sum of Rs. 2,72.897/- was refunded to the passengers on that particular date at Madurai

Lack of facilities in trains on Delhi—Guwahati route

1272. SHRI TARA CHARAN MAJUM-DAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether facilities such as drinking water, good food and cleanliness are lacking in the trains on Guwahati—Delhi—Guwahati routes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken by Government to improve these facilities in the trains in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C LENKA): (a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.